



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :- 19/2013

प्रार्थी

केशरसिंह पुत्र श्री मदनसिंह
जाति राजपूत निवासी रणसीगांव
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जबरसिंह पुत्र मदनसिंह
2. उच्छबकंवर पत्नी छोटूसिंह
3. दलपतसिंह पुत्र मदनसिंह
4. मनोहरसिंह पुत्र मदनसिंह
जातियान राजपूत निवासीगण
रणसीगांव तहसील बिलाड़ा,
जिला जोधपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार
बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 07.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम रणसीगांव राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी केशरसिंह व अप्रार्थी संख्या 3 दलपतसिंह व अप्रार्थी संख्या 4 मनोहरसिंह उपस्थित प्रार्थी की ओर से इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.05.2016 की पालना आज दिन तक नहीं की है। आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के अनुसार न्यायालय आदेश की पालना अन्दर अवधि सात दिवस आवश्यक है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या /2013 केशरसिंह बनाम जबरसिंह वगैराह के साथ संलग्न हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा